**पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 11 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**दिनांक- 15.09.2023**

**दिनांक 14/15-09-2023 को रात्रि थाना अलीगंज 01, बीकेटी 02, माल 02, पीजीआई 01, सरोजनीनगर 03, मडियांव 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 11अभियुक्त गिरफ्तार।**

**डी0सी0पी0 दक्षिणी**

**अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।**

**थाना गोसांईगंज**-दिनांक 14.09.2023 को उ0नि0 श्री रामदास थाना गोसांईगंज लखनऊ द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01-महादेव रावत पुत्र मोहनलाल नि0 ग्राम पंचसरा थाना गोसाईगंज लखनऊ को जगदेव के मकान के पास बने टीन सेड मे बहद ग्राम पंचसरा गोसाईगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया मे कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर थाना गोसांईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**थाना गोसांईगंज**-दिनांक 14.09.2023 को उ0नि0 श्री रामदास थाना गोसांईगंज लखनऊ द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01-रमेश कनौजिया पुत्र रामकुमार निवासी टिकनियामऊ थाना गोसईगंज लखनऊ को रमेश कनौजिया के घर के सामने चबूतरा ग्राम सरई गुदौली गोसाईगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया मे कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर थाना गोसांईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**थाना नगराम**-दिनांक 14.09.2023 को उ0नि0 श्री अवधेश कुमार थाना नगराम लखनऊ द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01-वीरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 सोहनलाल निवासी ग्राम छोटी खेड़ा मजरा गढ़ी थाना नगराम लखनऊ को ग्राम छोटी खेड़ा से पास ग्राम छोटीखेड़ा मजरा गढ़ी नगराम लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया मे कुल 09 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना नगराम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**भा0द0वि0**

**थाना मदेयगंज**- दिनांक 15.09.2023 को थाना मदेयगंज द्वारा बताया गया कि श्री सुरेश कुमार पुत्र स्व0 हसमत निवासी 480/213बागशाह जी बाग खदरा थाना मदेयगंज लखनऊ ने थाना मदेयगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 14.09.2023 समय करीब 22.00 बजे उसके पुत्र अभिषेक व अन्य बच्चे में टीवी देखने को लेकर विवाद होने लगा। इस बात पर उसका पुत्र अभिषेक यह कहकर ऊपर के कमरे में चला गया कि वह सोने जा रहा है। दिनांक 15.09.2023 की सुबह जब वह देखने गए तो कमरा अंदर से बंद था और दरवाजे की गैप से झांककर तो अभिषेक उम्र करीब 15 वर्ष ने छत के पंखे से रस्सी से लटका हुआ था। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री रामानंद यादव मो0नं0- 9140105617 थाना मदेयगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक अभिषेक उपरोक्त ने दिनांक 14/15.09.2023 की रात्रि में कमरे में छत के पंखे से रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया। मृतक कक्षा 08 का छात्र था। मृतक के पिता मजदूरी करते है।

**थाना जानकीपुरम्**-दिनांक 15.09.2023 को थाना जानकीपुरम द्वारा बताया गया कि वादी श्री रुपेश पुत्र हरिशंकर नि0 मिर्जापुर जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम लखनऊ ने थाना जानकीपुरम पर सूचना दिया कि दिनांक 14.09.2023 को समय करीब 09.00 बजे सुबह मिर्जापुर पुलिया पर मिनी बस सं0 यूपी32एमएन 6352 के चालक अज्ञात द्वारा के बस को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए वादी के चाचा माखनलाल उर्फ रामबाबू को टक्कर मार दिया जिससे वादी के चाचा माखनलाल उर्फ रामबाबू उम्र करीब 48 वर्ष की मौके पर मृत्यु हो गई। **इस सूचना पर थाना जानकीपुरम पर मु0अ0सं0- 219/2023 धारा-279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

**थाना जानकीपुरम्**-दिनांक 15.09.2023 को थाना जानकीपुरम द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती इन्दू मिश्रा पत्नी राजीव गुप्ता जानकीपुरम विस्तार, B17 वसुन्धरा होम्स लखनऊ ने थाना जानकीपुरम पर सूचना दिया कि दिनांक 11.09.2023 को समय करीब 08.30 बजे सुबह वादिनी के फोन पर मो0न0- 9233247559 से कॉल आई जिससे वादिनी को कहा गया कि आपका फॉरेन से पार्सल आया है और उसे लेने के लिए 35,000/-रू0 का भुगतान करना होगा। इस पर वादिनी द्वारा अपने खाते से यूपीआई द्वारा भुगतान कर दिया, पुनः समय करीब 14.30 बजे वादिनी को कॉल करके कहा गया कि आपके 70,000 यूएस डॉलर आए है जिसकी भारतीय मूल राशि 58 लाख रूपये है उसे आईएमएफ कराने के लिए वादिनी को 01 लाख रूपये यूपीआई करने होंगे।। दिनांक 12.09.2023 को समय 12.10 बजे वादिनी को कॉल आई कि उक्त राशि को कनवर्ट कराने के लिए आर.बी.आई. चार्जेज 03 लाख 18 हजार रूपये हुए है उन्हे भेज दीजिए फिर आपके खाते में 45 मिनट में 58 लाख ट्रांसफर कर दिए जायेंगे इस पर वादिनी को द्वारा 01 लाख रूपये आईएमपीएस किया गया, कुल 02 लाख 35 हजार रूपये ट्रांसफर किए गए। वादिनी को पुनः कॉल आने पर और पैसा भेजने के लिए कहा गया तो वादिनी द्वारा मना कर दिया गया। **इस सूचना पर थाना जानकीपुरम पर मु0अ0सं0- 220/2023 धारा- 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**